निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 आषाढ़ 1947 (श0)

(सं0 पटना 1211) पटना, बुधवार, 9 जुलाई 2025

सं०सं०-एम-4-53/2007-507/वि०
वित्त विभाग

संकल्प

8 जुलाई 2025

विषय :– स्कीमों की स्वीकृति हेतु शक्तियों के प्रत्यायोजन से संबंधित विस्तृत दिशा–निर्देश संबंधी वित्त विभागीय संकल्प संख्या–12888 दिनांक–03.12.2024 की कंडिका–8(ख) में संशोधन कर इसे 8(ख) एवं 8(ग) के रूप में प्रतिस्थापित किये जाने के संबंध में ।

स्कीमों की स्वीकृति हेतु शक्तियों के प्रत्यायोजन से संबंधित विस्तृत दिशा–निर्देश वित्त विभागीय संकल्प संख्या–12888 दिनांक–03.12.2024 द्वारा निर्गत है ।

2. वित्त विभागीय संकल्प संख्या–12888 दिनांक–03.12.2024 की कंडिका–8 में पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति से संबंधित प्रावधान अंकित है । इसके कंडिका–8(ख) में 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि वाले पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति के संबंध में दिशा–निर्देश अंकित है ।

3. वित्त विभागीय संकल्प संख्या–12888 दिनांक–03.12.2024 की कंडिका–8(ख) में 20 प्रतिशत से अधिक के पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति के संबंध में निम्नांकित प्रावधान हैः–

*''**8(ख)**–यदि स्वीकृत स्कीम के मूल प्राक्कलन में 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि संभावित है, तो ऐसी स्कीम के पुनरीक्षित प्राक्कलन में विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए विहित स्वीकृति प्राधिकार से एक स्तर ऊपर के प्राधिकार द्वारा स्वीकृति दी जायेगी । विहित स्वीकृति प्राधिकार मंत्रिपरिषद् होने की स्थिति में एक स्तर ऊपर के प्राधिकार के रूप में मंत्रिपरिषद् ही माना जायेगा । पुनरीक्षित प्राक्कलन के आधार पर निर्धारित एक स्तर ऊपर का स्वीकृति प्राधिकार कंडिका–2(क) की सक्षमता तक ही राशि की स्वीकृति प्रदान करेगा ।*

***स्पष्टीकरणः**– किसी भी स्कीम में मूल प्राक्कलन एक ही होता है, जो मूल प्रशासनिक स्वीकृति है। पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति को मूल प्रशासनिक स्वीकृति नहीं माना जायेगा। किसी स्वीकृत स्कीम में जब भी अग्रतर पुनरीक्षण आवश्यक हो तो, उस स्कीम के मूल प्राक्कलन का संदर्भ सदैव संबंधित स्कीम के मूल (original) प्रशासनिक स्वीकृति से ही लिया जायेगा ।*

तदनुसार किसी भी स्वीकृत स्कीम के प्रथम पुनरीक्षित प्राक्कलन के बाद अग्रतर पुनरीक्षण (मूल प्राक्कलन से 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की स्थिति में) हेतु उपरोक्त कंडिका–(ख) के अनुरूप मंत्रिपरिषद् अथवा पूर्व में पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने वाले स्वीकृति प्राधिकार से एक स्तर ऊपर के प्राधिकार (कंडिका–2(क) में निहित वित्तीय सीमा के अन्तर्गत) का पुनः अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा ।''

4. वित्त विभागीय संकल्प की उक्त वर्णित कंडिका–8(ख) में 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि वाले पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति के संबंध में प्रशासी विभागों द्वारा संचिकाओं के माध्यम से और स्थिति स्पष्ट करने के लिए वित्त विभाग से अनुरोध किया जाता रहा है । प्राप्त विभागीय प्रस्तावों में अलग–अलग मामलों में विभाग के स्तर पर पुनरीक्षित स्वीकृति प्राधिकार के विषय में निर्णय लेने में संशय की स्थिति उत्पन्न हो रही है । अतः उक्त परिस्थिति में 20 प्रतिशत से अधिक के पुनरीक्षित प्राक्कलन के स्वीकृति के संबंध में वित्त विभागीय संकल्प संख्या–12888 दिनांक–03.12.2024 की कंडिका–8(ख) में और अधिक स्पष्टता हेतु इसमें संशोधन की आवश्यकता है।

5. वर्णित स्थिति में वित्त विभागीय संकल्प संख्या–12888 दिनांक–03.12.2024 की कंडिका–8(ख) के उक्त वर्णित प्रावधान को 8(ख) एवं 8(ग) के रूप में निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता हैः–

''8(ख)– यदि स्वीकृत स्कीम के मूल प्राक्कलन में 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि संभावित है, तो ऐसी स्कीम के पुनरीक्षित प्राक्कलन में विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए पुनरीक्षित प्राक्कलन राशि का विहित स्वीकृत प्राधिकार से एक स्तर ऊपर के प्राधिकार द्वारा स्वीकृति दी जायेगी । किन्तु, पुनरीक्षित प्राक्कलन राशि हेतु विहित स्वीकृति प्राधिकार कंडिका–2(क) (iii) एवं 2(क)(iv) में अंकित प्राधिकार होने की स्थिति में, एक स्तर ऊपर के प्राधिकार के रूप में उसी प्राधिकार अर्थात् क्रमशः कंडिका–2(क)(iii) एवं 2(क)(iv) में अंकित प्राधिकार को ही सक्षम प्राधिकार माना जायेगा ।

***स्पष्टीकरण** :– किसी भी स्कीम में मूल प्राक्कलन एक ही होता है, जो मूल प्रशासनिक स्वीकृति है। पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति को मूल प्रशासनिक स्वीकृति नहीं माना जायेगा । किसी स्वीकृत स्कीम में जब भी अग्रतर पुनरीक्षण आवश्यक हो तो, उस स्कीम के मूल प्राक्कलन का संदर्भ सदैव संबंधित स्कीम के मूल (original) प्रशासनिक स्वीकृति से ही लिया जायेगा ।*

8(ग)–किसी भी स्वीकृत स्कीम के प्रथम पुनरीक्षित प्राक्कलन के बाद अग्रतर पुनरीक्षण (मूल प्राक्कलन से 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की स्थिति में) हेतु पूर्व में पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने वाले स्वीकृति प्राधिकार से एक स्तर ऊपर के प्राधिकार का पुनः अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा । विहित स्वीकृति प्राधिकार मंत्रिपरिषद होने की स्थिति में एक स्तर उपर के प्राधिकार के रूप में मंत्रिपरिषद ही माना जायेगा ।''

6. इस प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की दिनांक–08.07.2025 की बैठक में मद संख्या–13 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है ।

7. वित्त विभागीय संकल्प संख्या–12888 दिनांक–03.12.2024 में निहित अन्य प्रावधान यथावत् लागू रहेंगे।

आदेशः– **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय ।**

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
आनन्द किशोर,
प्रधान सचिव ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1211-571+10-डी0टी0पी0।
Website: https://egazette.bihar.gov.in